

15/7/22

(नियम 26) ~~उपस्थित~~
 आज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायकता) श्री गंगानगर
 राजूराम बनाग ग्राग पंचायत डुंगरसिंहपुरा वगैरा
 निगरानी प्रकरण सं० 23/2021

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :- श्री प्रेमचन्द सेवटा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :- *Ex party*
 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज नम्बर व तारीख

20
 27/8/21
 2-24
 25/9/21
 01-25
 02-25
 3-25
 10/11/21

तारीख हुक्म	विवरण	नम्बर व तारीख
27.08.2021	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वारतो तलवी एवं रिकॉर्ड तलवी हेतु दिनांक 27.09.2021 को पेश हो।	1747/10/48 3/18
	बारसंघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी <u>उपस्थित</u> है। पत्रावली दिनांक <u>27/9/21</u> को पेश हो।	
	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर कार्य में व्यस्त है। पत्र कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक <u>27/9/21</u> को पेश हो।	
	पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर कार्य में व्यस्त है। पत्र कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक <u>27/9/21</u> को पेश हो।	
	बारसंघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी <u>उपस्थित</u> है। पत्रावली दिनांक <u>17/11/21</u> को पेश हो।	
	बारसंघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी <u>उपस्थित</u> है। पत्रावली दिनांक <u>3/3/22</u> को पेश हो।	
	अधिवक्ता, निगरानीकर्ता उपस्थित। रिपोर्ट पेश की गई। अदालत में उपस्थित हुए। रजिस्ट्रार नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/4/22 को पेश हो।	
	निगरानीकर्ता उपस्थित। रिपोर्ट पेश की गई। अदालत में उपस्थित हुए। रजिस्ट्रार नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 7/6/22 को पेश हो।	
	निगरानीकर्ता उपस्थित। रिपोर्ट पेश की गई। अदालत में उपस्थित हुए। रजिस्ट्रार नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/7/22 को पेश हो।	

Noted

09.06.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।
आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर